

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-10
संख्या-590/एक-10-2020-33(46)/2018
लखनऊ: दिनांक: ०९ सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पत्र सं०-319/रा०आ०प्र०प्रा०/2020-21, दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से किये गये मांगपत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) तथा 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) मद में प्राविधानित बजट की अवशेष धनराशि को द्वितीय किश्त के रूप में आगामी 06 माह (अक्टूबर से मार्च तक) के व्ययों हेतु, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के वेतन एवं गैर वेतन मद हेतु **रु० 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)				
क्रम सं०	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2245-80-800-06-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	200.00	100.00	100.00
2	2245-80-800-06-00-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	200.00	100.00	100.00
	योग	400.00	200.00	200.00
(रुपये दो करोड़ मात्र)				

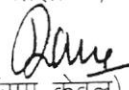
- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या- 590(1)/एक-10-2020-33(46)/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-23/09/2020

प्रेषण संख्या:- 590
आवंटन आदेश संख्या:- 153-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 20000000	10000000 20000000	20000000 40000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 20000000	10000000 20000000	20000000 40000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संलग्न
सं0